रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2017/भाद्र 2, 1939
No. 723]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2017/BHADRA 2, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1061(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नियम, 2016 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नियम, 2016 में, नियम 63 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**63 प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति.–** (1) अधिनियम की धारा 432 के उपबंधों के अध्यधीन अपील अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों या अपील का कोई पक्षकार अपना मामला अपील अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या एक से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कम्पनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधिक व्यवसायियों या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक या कम्पनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक किसी अधिकारी या अधिवक्ता को अपील अधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार या क्षेत्रीय निदेशक या कम्पनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कनिष्ठ समय वेतनमान या कम्पनी अभियोजक की रैंक से न्यून नहीं होगा"।

[फा. सं. 1/30/2013/-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 717(अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2017

G.S.R. 1061(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Company Law Appellate Tribunal (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016, for rule 63, the following rule shall be substituted, namely:-

"63. Appearance of authorised representative.- (1) Subject to provisions of section 432 of the Act, a party to any proceedings or appeal before the Appellate Tribunal may either appear in person or authorise one or more chartered accountants or company secretaries or cost accountants or legal practitioners or any other person to present his case before the Appellate Tribunal.

(2) The Central Government, the Regional Director or the Registrar of Companies or Official Liquidator may authorise an officer or an Advocate to represent in the proceedings before the Appellate Tribunal.

(3) The officer authorised by the Central Government or the Regional Director or the Registrar of Companies or the Official Liquidator shall be an officer not below the rank of Junior Time Scale or company prosecutor.".

[F. No. 1/30/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 717(E), dated the 21st July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.25 12:53:15 +05'30'